

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल: rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3 Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

क्रमांक : एफ. 9()/आरएमएससी/भण्डार/R.O./2019-20/ 770

दिनांक : 07/08/19

सीमित निविदा प्रस्ताव

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर मुख्यालय में प्रथम एवं तृतीय तल पर स्थापित 02 Water Purifier RO System Aqua-guard 50 LPH की वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) हेतु मय पार्ट्स प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अतः इच्छुक फर्म अपना प्रस्ताव (AMC की दर + GST अतिरिक्त) दिनांक 13.08.2019 को सायं 04.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र "अ" में प्रस्तुत करें।

निविदा प्रपत्र निगम की website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।


इच्छुक फर्म कार्यालय समय 09.00 AM to 06.00 PM के दौरान RO System का परीक्षण कर सकती है।



(जुगल किशोर मीणा)
विशेषाधिकारी, आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि निगम की वेबसाइट <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।



विशेषाधिकारी, आरएमएससी



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल :rmisc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3 Website : http://rmisc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9()/आरएमएससी/अण्डार/R.O./2019-20/

दिनांक :

प्रपत्र 'अ'

वित्तीय निविदा


AMC की दर + GST अतिरिक्त मय पार्ट्स

क्र.सं.	RO System	मात्रा	बैसिक दर प्रति RO System राशि ₹ (मय पार्ट्स)	GST (SGST/CGST) % राशि ₹	कुल दर (GST सहित)
1	Water Purifier RO System Aqua-guard 50 LPH	2			

नोट:- निविदा के साथ निम्न दस्तावेज अवश्य संलग्न करें अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. पेन नम्बर।
3. बैंक खाते का पूर्ण विवरण।
4. फर्म के पंजीकृत कार्यालय का पता मय फोन नम्बर।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल :rmisc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067


GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

Website : <http://rmisc.health.rajasthan.gov.in>

RO System की वार्षिक परम्पत एवं रख-रखाव (AMC) हेतु सीमित निविदा


1. सीमित निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित
2. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
3. सीमित निविदा सूचना संदर्भ एफ.ओ ()/आरएमएससी/मण्डार/R.O./2019-20/..... दिनांक
4. अपठनीय दस्तावेज की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी दस्तावेज पठनीय होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार से बाद में दस्तावेज सम्मिलित करने का अधिकार नहीं होगा इस लिए वांछित सभी दस्तावेज भी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
5. निविदाकार पंजीकृत व्यवसायी हो।
6. हम, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई सीमित निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा RTPPA, 2012 व RTPPR, 2013 में दी गई उक्त सीमित निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठ/पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



**RO System की वार्षिक भरभरत एवं रख-रखाव (AMC) हेतु
सीमित निविदा की शर्तें एवं कार्य**

1. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 की शर्तें व राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 की शर्तें इस निविदा का भाग मानी जाएगी।
2. मूल निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में प्रदर्शित कार्य हेतु निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। निगम के प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
3. निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित होना चाहिए।
4. निविदादाता को ग्राह में कम से कम एक बार सभी RO System का निरीक्षण कर, RO System की कार्य क्षमता की रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करनी होगी तथा निगम द्वारा सूचना दिए जाने पर, RO System को तुरन्त प्रभाव से निकाला जाना आवश्यक है।
5. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों (जो कि वर्तमान में लागू GST प्रावधान के अन्तर्गत तैयार किए गए हों) का भुगतान निगम द्वारा कार्य संतोषप्रद होने की पुष्टि संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। निगम द्वारा फर्म को भुगतान RTGS/NEFT के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निविदादाता को अपने बैंक खाते का विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक सूचना पर किए गए कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, एवं निगम में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
7. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को संपूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
8. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कैंट फॉट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कैंट छॉट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर को होगा।
10. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार 03 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में परिसमाप्त नुकसानी (LD) राशि ₹ 500/- प्रतिदिवस वसूल की जाएगी।
11. कार्यादेश के अनुसार कार्य एक दिवस में करना होगा। RO System खराब होने की सूचना निविदा में दिए गए मोबाइल/लैण्डलाइन फोन अथवा ई-मेल द्वारा दी जाएगी। फर्म द्वारा RO System को 02 दिवस में ठीक नहीं किये जाने पर फर्म को Risk & Cost पर निगम द्वारा RO System को अपने खर्च पर ठीक करवा जाएगा जिसके व्यय की राशि फर्म को देय भुगतान से वसूल की जाएगी।



12. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार — बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति है तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।


14. सत्यनिष्ठा संहिता — उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, —

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्ते, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी सहायता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरव्यसंधि, बोली में त्रुटि सूचना वृद्धि या गतिरोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रकार में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमसंगत रूप से किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

15. हित का विरोध —

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्यों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थितियों को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के वित्तीय कर्तव्यों या सार्वजनिक, सविदागत बाध्यताओं के पालन, या लानू विधियों और विनियमों को अनुपाकन का अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में




समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु इन तक सीमित नहीं है :-

- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उनके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में इस्तक्षेप करते हों या इस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य किये कृत्यों और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की आन्वीय वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर अतिक्रम प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कूटनी, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाले किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में मार्ग जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि:-
- (क) उनके समान नियंत्रक भारीदार हैं।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
- (ग) उनका नाम बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या अन्वीय तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के तार में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाले एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रक्रिया में यह विचार करायेंगे कि बोली लगाने वाले उस सलाहकार या किसी के अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो सम्बन्ध है और नहीं सम्बन्ध रहा है या संविदा के लिए




परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

16. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण - प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 अपील:-

- (1) राजस्थान लोक उपापन में पदाभिहित अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भागी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था वह कोई निर्णय कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिस पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन के अंदर या ऐसी अन्य अवधि या पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली लगावले में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (अपन-सु) में अपील दाखिल कर सकेगा।
परन्तु बोली लगाने वाले को सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।
परन्तु यह और कि ऐसी दस्तावेजों में उपापन संस्था किसी बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी तौर पर का निश्चय करती है वही किसी बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्रतिक्रिया पर उपापन संस्था के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुन लेना का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अनिवार्य करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए विनियम और मार्गदर्शन दिशानिर्देशों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (3) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा संभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इस निपटारे का प्रयास करेगा।
- (4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपापन संस्था के अधीन पारित अपील को निपटारने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भागी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भागी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी के अभाव में या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की स्थिति को तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस




निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

- (5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को उन पक्षों का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपायन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनने पर विधियों और निर्देशक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, होली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निपटारों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो नित्य होना और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर-बाहर इसे सिफटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण प्रतिक्रियित करेगा।
- (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकती की, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।
- (8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्राप्तक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसा फीस होगी जो विहित की जाएँ।
- (9) इस धारा के अधीन अपील की गृहणार्थ के समस्त संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया-विधियों का अनुसरण करेंगे जो विहित किए जाएँ।
- (10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवरणक सुरक्षा द्विती के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो किसी के प्रवर्तन या नित्य प्रतियोगिता में अडिचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपायन संस्था के लिए समस्त बाधित्विक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में एकत-भूती की जाएगी।

17. अपील का प्रारूप - (1) राजस्थान जेएच उपायन में उपदर्शित अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (2) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उक्त प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रलार्थों हैं।

- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में प्रतियुक्त प्रतियों को संलग्न करके उक्त आदेश पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रारूप अधीन प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिगत या रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्राप्त या प्रतिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

18. अपील फाइल करने के लिए फीस - (1) प्रत्येक अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अपाविदेय होंगी।



(2) फीस का रकबा किसी अधिस्थित बिल के बैंक मागदेव ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जाएगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

19. अपील के निपटारे की प्रक्रिया - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यक्ष या अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी -

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील को समस्त पक्षकारों को सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन जारीत आदेश राज्य लोक उपायन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

20. निविदादाता को यह ज्ञित कर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य में वर्तमान दर संविदा अवधि में निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

21. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य सभी निविदा सूचना एवं सामान्य विनियम एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपायन में परदर्शित अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार लागू होगी।

22. आपसी सहमति से दर संविदा समयावधि 3 मास की होकर बढ़ाई जा सकती है।

23. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझाया/समझाया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबद्ध रहूंगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

